रजिस्ट्री सं. डी.एल. (एन) 04/0007/2003—05 REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-18042023-245230
CG-DL-W-18042023-245230

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 14] नई दिल्ली, अप्रैल 9—अप्रैल 15, 2023, शनिवार/चैत्र 19,—चैत्र 25, 1945
No. 14] NEW DELHI, APRIL 9—APRIL 15, 2023, SATURDAY/CHAITRA 19,—CHAITRA 25, 1945

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रुप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली, 29 मार्च, 2023

सा.का.नि. 36.—लोक सभा सचिवालय (भर्ती और सेवा शर्तें) नियम, 1955 के नियम 19 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अध्यक्ष एतद्वारा लोक सभा सचिवालय (आचरण) नियम, 1955 में और संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थातः-

1. (i) इन नियमों को लोक सभा सचिवालय (आचरण) संशोधन नियम, 2023 कहा जाएगा ।

(ii) ये तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

2. लोक सभा सचिवालय (आचरण) नियम, 1955 के नियम 21 के उप नियम (1) में "...रेडियो प्रसारण..." शब्दों के पश्चात **"...या इलेक्ट्रॉनिक अथवा किसी अन्य मीडिया में.."** शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे।

3. लोक सभा सचिवालय (आचरण) नियम, 1955 के संशोधित नियम 21 को निम्नवत पढ़ा जाएगा:-

सरकार की आलोचना - (1.) कोई भी अधिकारी रेडियो प्रसारण में **या इलेक्ट्रॉनिक अथवा किसी अन्य मीडिया में** या अपने नाम से अथवा गुमनाम अथवा छद्म नाम से अथवा किसी अन्य व्यक्ति के नाम से प्रकाशित किसी लेख में या प्रेस को दी गई किसी सूचना में या किसी सार्वजनिक भाषण में किसी भी ऐसे तथ्य का कथन नहीं करेगा या अपनी राय नहीं देगा –

(i) जिससे केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार की किसी वर्तमान या हाल की नीति या कार्रवाई की प्रतिकूल आलोचना हो; या

(ii) जो संसद, केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार और भारत की जनता अथवा उसके किसी वर्ग के बीच संबंधों को खराब करने वाली हो;

(iii) जो केंद्र सरकार और किसी अन्य देश की सरकार के बीच संबंधों को खराब करने वाली हो।

(2) कोई भी अधिकारी जिसका आशय अपने नाम से ऐसे किसी दस्तावेज को प्रकाशित करने या किसी ऐसे कथन से युक्त सार्वजनिक भाषण देना हो, जिसके संबंध में इस नियम द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के लागू होने के बारे में कोई संदेह उत्पन्न हो, तो, वह अधिकारी महासचिव को उस दस्तावेज, जिसे वह प्रकाशित करने का आशय रखता हो, या जो भाषण देने का आशय रखता हो, की एक प्रति अथवा प्रारूप महासचिव को प्रस्तुत करेगा और महासचिव की अनुमति के बिना एवं महासचिव द्वारा निदेशित परिवर्तनों, यदि कोई हों, को शामिल किए बिना उक्त दस्तावेज को प्रकाशित नहीं करेगा या उक्त भाषण नहीं देगा।

[फा. सं. 7/53/2009/ जी.एन-9607/ वीयू]

उत्पल कुमार सिंह, महासचिव

LOK SABHA SECRETARIAT

New Delhi, the 29th March, 2023

G.S.R. 36.—In exercise of the powers conferred by Rule 19 of the Lok Sabha Secretariat (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 1955, the Speaker hereby makes the following Rules further to amend the Lok Sabha Secretariat (Conduct) Rules, 1955, namely:-

1 (i) These Rules shall be called the Lok Sabha Secretariat (Conduct) Amendment Rules, 2023.

(ii) They shall come into force with immediate effect.

2. In sub-rule (1) of Rule 21 of the Lok Sabha Secretariat (Conduct) Rules, 1955, the words **"….or in any media, electronic or otherwise…"**, shall be inserted after the extant words "….radio broadcast….".

3. The amended Rule 21 of the Lok Sabha Secretariat (Conduct) Rules, 1955 will read as follows:-

Criticism of Government – (1) No Officer shall, in any radio broadcast **or in any media, electronic or otherwise** or in any document published in his own name or anonymously, pseudonymously or in the name of any other person or in any communication to the press or in any public utterance, make any statement of fact or opinion –

(i) which has the effect of any adverse criticism of any current or recent policy or action of the Central Government or a State Government; or

(ii) which is capable of embarrassing the relations between the Parliament, the Central Government or the Government of any State and the people of India or any section thereof; or

(iii) which is capable of embarrassing the relations between the Central Government and the Government of any foreign state.

(2) Any officer who intends to publish any document under his own name or to deliver any public utterance containing statements in respect of which any doubt as to the application of the restrictions imposed by this rule may arise, shall submit to the Secretary-General, a copy or draft of the document which he intends to publish or of the utterance which he intends to deliver and shall not publish the document or deliver the utterance, save with the permission of the Secretary-General and with such alterations, if any, as the Secretary-General may direct.

[F. No. 7/53/2009/GN-9607/VU]

UTPAL KUMAR SINGH, Secy. General

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग)

नई दिल्ली, 30 जनवरी, 2023

सा.का.नि. 37.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन भारतीय सर्वेक्षण विभाग में स्टाफ कार ड्राइवर (विशेष श्रेणी) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थातः-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ: **-** (i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय सर्वेक्षण विभाग, स्टाफ कार ड्राइवर (विशेष श्रेणी) भर्ती नियम, 2023 है।

(ii) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **आरंभिक गठन:-** इन नियमों के प्रारंभ से पूर्व विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन भारतीय सर्वेक्षण विभाग में नियमित आधार पर स्टाफ कार ड्राइवर (विशेष श्रेणी) के पदधारी इन नियमों के उपबंधों के अनुसार नियुक्त किए गए समझे जाएंगे।

3. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर**: **-** उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं आदि**: **-** उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. **निरर्हता**: **-** वह व्यक्ति -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है,

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. **शिथिल करने की शक्ति**: **-** जहाँ केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. **व्यावृत्ति**: **-** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों,

अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम।	पदों की संख्या।	वर्गीकरण।
(1)	(2)	(3)
स्टाफ कार ड्राइवर (विशेष श्रेणी)।	14*(2023) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय।

वेतन मैट्रिक्स में स्तर।	चयन अथवा अचयन पद।
(4)	(5)
वेतन मैट्रिक्स में स्तर -6 (रु 35,400-11,2400/-)।	अचयन।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।
(6)	(7)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति /आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	दो वर्ष।	प्रोन्नति

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।
(11)
प्रोन्नति :- श्रेणी I में ऐसे स्टाफ कार ड्राइवर जिन्होंने समूह 'ग' वेतन मैट्रिक्स के स्तर 5 (रु. 29,200-92,300) में तीन वर्ष नियमित सेवा की है। **टिप्पण:** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
समूह 'ख' (अराजपत्रित) विभागीय/प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. अपर महासर्वेक्षक, महासर्वेक्षक कार्यालय -अध्यक्ष 2. उप महासर्वेक्षक, महासर्वेक्षक कार्यालय - सदस्य 3. भारतीय महासर्वेक्षक द्वारा नामनिर्दिष्ट निदेशक - सदस्य 4. सहायक महासर्वेक्षक, महासर्वेक्षक कार्यालय - सदस्य **समूह 'ख' (अराजपत्रित) विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए), जिसमें निम्नलिखित होंगे:-** 1. उप महासर्वेक्षक, महासर्वेक्षक कार्यालय -अध्यक्ष 2. भारतीय महासर्वेक्षक द्वारा नामनिर्दिष्ट निदेशक (चक्रानुक्रम पर) -सदस्य 3. भारतीय महासर्वेक्षक द्वारा नामनिर्दिष्ट एक समूह 'क' अधिकारी -सदस्य 4. सहायक महासर्वेक्षक, महासर्वेक्षक कार्यालय -सदस्य।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है	

[फा. सं. एस.एम/02/05/2019]

अनुपमा, अवर सचिव

MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

(Department of Science And Technology)

New Delhi, the 30th January, 2023

G.S.R. 37.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the Staff Car Driver (Special Grade) in the Survey of India, Department of Science and Technology under Ministry of Science and Technology, namely:-

1. **Short title and commencement.** – (1) These rules may be called the Survey of India Staff Car Driver (Special Grade) Recruitment Rules, 2023.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Initial Constitution.-The incumbents to the post of Staff Car Driver (Special Grade) in Survey of India under Department of Science and Technology on regular basis before commencement of these rules shall be deemed to have been appointed in accordance with the provisions of these rules.

3. Number of posts, classification, level in pay matrix or pay scale. – The number of the said posts, their classification and the level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

4. Method of recruitment, age-limit and other qualifications, etc. – The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

5. Disqualification.– No person, –

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post.

Provided that the Central Government may, if satisfied, that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax. – Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. Saving. – Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of Post.	**Number of Post.**	**Classification.**
(1)	**(2)**	**(3)**
Staff Car Driver (Special Grade).	14* (2023) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service: Group B (Non-Gazetted) (Non-Ministerial).

Level in the Pay Matrix.	**Whether Selection or non-selection post.**
(4)	**(5)**
Level 6 (Rs. 35,400-1,12,400).	Non-Selection.

Age limit for Direct recruits.	**Educational and other qualifications required for direct recruits.**	**Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.**
(6)	**(7)**	**(8)**
Not Applicable.	Not Applicable.	Not Applicable.

Period of probation, If any.	**Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.**
(9)	**(10)**
Two years.	Promotion.

In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made.
(11)
Promotion: Staff Car Driver Grade 1 in Group 'C' level 5 (`29200-92300) in the pay matrix with three years regular service in the Grade. **Note :** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	**Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.**
(12)	**(13)**
Group B (Non Gazetted) Departmental Promotion Committee consisting of:	Consultation with UPSC is

1. Additional Surveyor General, Surveyor General's Office - Chairman 2. Deputy Surveyor General, Surveyor General's office - Member 3. Director to be nominated by the Surveyor General of India - Member 4. Assistant Surveyor General, Surveyor General's Office - Member **Group B (Non Gazetted) Departmental Confirmation Committee consisting of:** 1. Deputy Surveyor General, Surveyor General's Office - Chairman 2. Director (on rotation) to be nominated by the Surveyor General of India. - Member 3. One Group A Officer to be nominated by the Surveyor General of India. - Member 4. Assistant Surveyor General, Surveyor General's Office – Member	not necessary.

[F. No. SM/02/05/2019]

ANUPAMA, Under Secy.

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 12 अप्रैल, 2023

सा.का.नि. 38.—विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग एतदद्वारा भारत के राजपत्र भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित सा.का.नि. 275, दिनांक 10 मई, 2019 के राष्ट्रीय एटलस एवं थिमैटिक मानचित्रण संगठन (संयुक्त निदेशक) भर्ती नियम, 2019 और सा.का.नि. 283, दिनांक 13 सितम्बर, 2019 के शुद्धि-पत्र के अनुपालन में भारत सरकार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की अधिसूचना के हिन्दी पाठ में निम्नलिखित शुद्धियाँ करता है: -

अनुसूची के स्तम्भ (11) में टिप्पण 2 की चौथी पंक्ति में '3' के स्थान पर '4' पढ़ा जाए |

[फा. सं. एस एम/01/10/2017]

अनीता धादरा, अवर सचिव

नई दिल्ली, 12 अप्रैल, 2023

सा.का.नि. 39.—राष्ट्रपति ,संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और राष्ट्रीय एटलस एवं थिमैटिक मानचित्रण संगठन, कैंटीन कर्मचारी समूह 'ग' और समूह 'घ' पद भर्ती नियम, २००२ को, जहाँ तक इसका संबंध लिपिक (कूपन, किचन, कार्यालय, लेखा, साधारण कर्त्तव्य और विक्रय), चाय/ काफी बनाने वाला और वाश बॉय पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, राष्ट्रीय एटलस एवं थिमैटिक मानचित्रण संगठन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में लिपिक और कैन्टीन सहायक पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाते हैं ,अर्थात :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ: (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, राष्ट्रीय एटलस एवं थिमैटिक मानचित्रण संगठन, लिपिक और कैन्टीन परिचारक (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2023 है |

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होंगे |

2. लागू होना:- ये नियम, इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।

3. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर - उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनका वेतन मैट्रिक्स में स्तर या वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं I

4. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि - उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं I

5. निरर्हता - वह व्यक्ति –

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया हैं; या विवाह की संविदा की है या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिये अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. शिथिल करने की शक्ति - जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिये जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी I

7. व्यावृत्ति- इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछडे वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिये उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण
(1)	(2)	(3)
1. लिपिक	04* (2023) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग ', अराजपत्रित, अननुसचिवीय

वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद है अथवा अचयन पद।
(4)	(5)
वेतन मैट्रिक्स में स्तर-2 (19,900 - 63,200 रु.)	अचयन

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।
(6)	(7)
18 से 25 वर्ष के बीच। (केंद्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) **टिप्पण :-** रोज़गार कार्यालय के माध्यम से आने वाले अभ्यर्थियों की दशा में आयुसीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोज़गार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है।	**आवश्यक अर्हताएं :** (क) मान्यताप्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से वाणिज्य के साथ 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या समतुल्य (ख) कंप्यूटर पर अंग्रेज़ी में 35 श.प्र.मि. और हिंदी में 30 श.प्र.मि. (प्रत्येक शब्द के लिए 5 की डिप्रेशन के औसत पर 10500 के डी पी एच के समरूप अंग्रेज़ी में 35 शब्द प्रति मिनट या 9000 के डी पी एच के समरूप हिन्दी में 30 शब्द प्रति मिनट)। **टिप्पण 1 :-** अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती

	है। **टिप्पण 2 :-** अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए, कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी ।	**परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो ।**	**भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता ।**
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता ।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष ।	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा ।

प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा ।
(11)
प्रोन्नति: कैन्टीन परिचारक जिसने वेतन मैट्रिक्स में स्तर-1 (18,000 - 56,900 रु.) में कम से कम तीन वर्ष की नियमित सेवा की हो । कैन्टीन परिचारक से लिपिक में प्रोन्नति के लिए आई एस टी एम या भारत सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य संस्थान से संगठनात्मक व्यवहार, संचार कौशल और लेखा पद्धति में दो सप्ताह का प्रशिक्षण प्राप्त किया हो । **टिप्पण :** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिये विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जायेगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिये अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना ।	**भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा ।**
(12)	(13)

समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्लिखित होंगे :- 1. विभागाध्यक्ष या संयुक्त निदेशक, राष्ट्रीय एटलस एवं थिमैटिक मानचित्रण संगठन - अध्यक्ष; 2. उपनिदेशक, राष्ट्रीय एटलस एवं थिमैटिक मानचित्रण संगठन - सदस्य; 3. ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी या कार्यालयाध्यक्ष, राष्ट्रीय एटलस एवं थिमैटिक मानचित्रण संगठन - सदस्य । **समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्लिखित होंगे :-** 1. विभागाध्यक्ष या संयुक्त निदेशक, राष्ट्रीय एटलस एवं थिमैटिक मानचित्रण संगठन - अध्यक्ष; 2. उपनिदेशक, राष्ट्रीय एटलस एवं थिमैटिक मानचित्रण संगठन - सदस्य; 3. ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी या कार्यालयाध्यक्ष, राष्ट्रीय एटलस एवं थिमैटिक मानचित्रण संगठन - सदस्य ।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है	

(1)	(2)	(3)
2. कैन्टीन परिचारक	08* (2023) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग ', अराजपत्रित, अननुसचिवीय

(4)	(5)
वेतन मैट्रिक्स में स्तर-1 (18,000 - 56,900 रु.)	लागू नहीं होता	

(6)	(7)
18 से 25 वर्ष के बीच । (केंद्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है ।) **टिप्पण :-** रोज़गार कार्यालय के माध्यम से आने वाले अभ्यर्थियों की दशा में आयुसीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोज़गार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है ।	मैट्रिकुलेशन या समतुल्य ।

(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता।	दो वर्ष।	सीधी भर्ती।	लागू नहीं होता।

(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्लिखित होंगे :- 1. विभागाध्यक्ष या संयुक्त निदेशक, राष्ट्रीय एटलस एवं थिमैटिक मानचित्रण संगठन - अध्यक्ष; 2. उपनिदेशक, राष्ट्रीय एटलस एवं थिमैटिक मानचित्रण संगठन - सदस्य; 3. ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी या कार्यालयाध्यक्ष, राष्ट्रीय एटलस एवं थिमैटिक मानचित्रण संगठन - सदस्य ।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

[फा. सं. एस एम/02/07/2020]

अनीता धादरा, अवर सचिव

New Delhi, the 12th April, 2023

G.S.R. 39.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the National Atlas and Thematic Mapping Organisation**,** Canteen Employees Group 'C' and Group 'D' posts Recruitment Rules, 2002, in so far as it relates to the posts of Clerk (Coupon, Kitchen, Office, Accounts, General Duties and Sales), Tea/Coffee Maker and Wash Boy, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Clerk and Canteen Attendant in the National Atlas and Thematic Mapping Organisation, Department of Science and Technology, Ministry of Science and Technology, namely:-

1. Short title and commencement. — (1) These rules may be called the Ministry of Science & Technology, National Atlas and Thematic Mapping Organisation, Clerk and Canteen Attendant (Group 'C' Posts) Recruitment Rules, 2023.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application. — These rules shall apply to the posts as specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. Number of post, classification and level in pay matrix. —The number of the said posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

4. Method of recruitment, age-limit, qualifications etc. – The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

5. Disqualification. – No person, –

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax. —Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. Saving. — Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	**Number of post.**	**Classification.**
(1)	**(2)**	**(3)**
1. Clerk	04*(2023) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group-'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.

Level in pay matrix.	**Whether selection post or non-selection post.**	**Age-limits for direct recruits.**
(4)	**(5)**	**(6)**
Level-2 in the Pay Matrix (Rs.19,900- 63,200/-)	Non-Selection	Between 18 and 25 years. (Relaxable for government servants up to the age of 40 years in accordance with the orders issued by the Central Government) Note: The crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the Employment Exchange is asked to submit names. In case post is advertised in Employment News/ Newspaper the crucial date for determining the age limit shall be last date up to which applications have been called for.

Educational and other qualifications required for direct recruits.	**Whether age and educational qualification prescribed for direct recruitment will apply in the case of promotees.**
(7)	**(8)**
Essential Qualifications: (a) 12th Class pass or equivalent with Commerce from a recognised Board or University. (b) A typing speed of 35 w.p.m. in English or 30 w.p.m. in Hindi on computer (35 w.p.m. and 30 w.p.m. correspond to 10500 Key depressions per hour/9000 KDPH on an average of 5 key depressions for each word). **<u>Note-1</u>:** Qualification(s) are relaxable at the discretion of the Competent Authority **in the case of candidates otherwise well qualified.** **<u>Note-2</u>:** The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Competent Authority in case of candidates belonging to Scheduled Castes/	No

Scheduled Tribes if, at any stage of selection, the Staff Selection Commission/ Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates belonging to these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.	

Period of Probation, if any.	**Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.**
(9)	**(10)**
Two years for direct recruits.	Promotion failing which by Direct Recruitment.

In case of recruitment by promotion /deputation /absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made.
(11)
Promotion: Canteen Attendant with at least three (3) years regular service in the Level -1 of Pay Matrix (Rs. 18,000- 56,900/-). A two weeks training on Organisational Behaviour, Communication Skill and Accounting Practices shall be desirable for the Canteen Attendant for promotion to the post of Clerk from ISTM or any other Institute recognised by Government of India or State Government. **Note:** Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying /eligibility service by more than half of such qualifying/ eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	**Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.**
(12)	**(13)**
Group-'C' Departmental Promotion Committee (for considering Promotion) Consisting of:- (i) Head of Department or Joint Director, National Atlas and Thematic Mapping Organization -Chairman; (ii) Deputy Director, National Atlas and Thematic Mapping Organization -Member; (iii) Senior Administrative Officer or Head of Office, National Atlas and Thematic MappingOrganization - Member. **Group-'C' Departmental Confirmation Committee (for considering Confirmation) Consisting of:-** (i) Head of Department or Joint Director, National Atlas and Thematic Mapping Organization -Chairman; (ii) Deputy Director, National Atlas and Thematic Mapping Organization -Member;	Consultation with UPSC is not necessary.

(iii) Senior Administrative Officer or Head of Office, National Atlas and Thematic Mapping Organization -Member.	

(1)	(2)	(3)
2. Canteen Attendant	08*(2023) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group-'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.

(4)	(5)	(6)
Level-1 in the Pay Matrix (Rs. 18,000- 56,900/-).	Not Applicable	Between 18 and 25 years. (Relaxable for government servants up to the age of 40 years in accordance with the orders issued by the Central Government). **Note:** The crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the Employment Exchange is asked to submit names. In case, post is advertised in Employment News or Newspaper the crucial date for determining the age limit shall be last date upto which applications have been called for.

(7)	(8)
Matriculation or equivalent.	Not applicable.

(9)	(10)
Two years	Direct recruitment

(11)	(12)	(13)
Not Applicable.	**Group-'C' Departmental Confirmation Committee (for considering Confirmation) Consisting of:-** (i) Head of Department or Joint Director, National Atlas and Thematic Mapping Organisation -Chairman; (ii) Deputy Director, National Atlas and Thematic Mapping Organisation -Member; (iii) Senior Administrative Officer or Head of Office, National Atlas and Thematic Mapping Organisation -Member.	Consultation with UPSC is not necessary.

[F. No. SM/02/07/2020]
ANITA DHADRA, Under Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA
Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA
Date: 2023.04.18 15:28:32 +05'30'